अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों की सूची में नई प्रविष्टियां

2075. **श्री मृत्युन्जय प्रसाद :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सूचियों में नई प्रविष्टियों के बारे में कोई नियम, विनियम और कसौटी निर्धारित की गई है ;

(ख) यदि हां, तो उक्त सूचियों में किसी जाति विशेष के नाम की प्रविष्टि करने से पूर्व क्या मापदण्ड अपनाया जाता है ; और

(ग) क्या अनुसूचित जातियों की सूची में ऐसी जातियों के नाम निकालने का कोई उपबन्ध है जिन के बारे में यह सिद्ध हो जाये कि कोई जाति विशेष अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए निर्धारित मापदण्ड को अब पूरा नहीं करती और/अथवा कि उस जाति विशेष ने सामाजिक, आर्थिक और शिक्षा के क्षेत्र में इतनी प्रगति कर ली है कि इस जाति ने अन्य जातियों के स्तर को प्राप्त कर लिया है अथवा उस से ऊपर पहुंच गई हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल) : (क) और (ख). सरकार ने अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल करने के लिए किसी समुदाय के दावे पर विचार करने के लिए निम्नलिखित कसौटी अपनाई है :—

अनुसूचित जातियां : अस्पृश्यता की प्रथा से उत्पन्न अत्यधिक सामाजिक, शैक्षणिक तथा आर्थिक पिछड़ापन ।

अनुसूचित जनजातियां : प्राचीन की विशेषताओं, पृथक संस्कृति, भौगोलिक पृथकता और विस्तृत रूप से समुदाय के साथ सम्पर्क करने में संकोच तथा पिछड़ेपन के संकेत ।

(ग) संविधान के अनुच्छेद 341 और 342 के खण्ड (2) के उपबन्धों के अन्तर्गत संसद विधि द्वारा अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की सूचियों में शामिल कर सकती है अथवा निकाल सकती है ।

जाति तोड़ो सम्मेलन

2076. **श्री आर० एल० कुरील :**
श्री राम लाल राही :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जाति तोड़ो सम्मेलन जिसका उद्घाटन भारत के प्रधान मंत्री द्वारा किया गया था, 16, 17 तथा 18 सितम्बर, 1977 को नई दिल्ली स्थित विट्ठल भाई पटेल भवन में हुआ था; और

(ख) यदि हां, तो क्या सम्मेलन में स्वीकार किये गये संकल्पों की एक प्रति तथा उन पर सरकार की प्रतिक्रिया को सभा पटल पर रखा जायेगा ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल) : (क) जी हां, श्रीमान ।

(ख) सम्मेलन में स्वीकृत संकल्पों की प्रतिलिपि सरकार को नहीं प्राप्त हुई है ।